देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ......

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2018/TWB/02

E-Newsletter, Issued in Public Interest

मंगलवार, 23 जनवरी 2019

जवाब दीजिये मुख्यमंत्री महोदय!!!

जयपुर की छतों पर संचालित अवैध रेस्टोरेंट-बार के जिम्मेदार कौन??

जयपुर शहर की छतों पर फेल रहा है अवैध रेस्टोरेंट बारों का जाल;भाग-1

जैसे-जैसे जयपुर महानगर बनता जा रहा है,वैसे-वैसे महानगरों की समस्याओं,परेशानियों से भी घिरता जा रहा है|ऐसी ही एक विकट समस्या शहर के कमर्शियल,आवासीय काम्प्लेक्स और रियायशी घरों की छतों पर बिना स्थानीय निकायों की अनुमति के चलने वाले अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट,बार,डिस्कोथेक आदि की है|

इन अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट,बार,डिस्कोथेक का फैलाव जयपुर के प्रमुख इलाकों,राजा-पार्क,मालवीय नगर,वैशाली नगर,C-स्कीम,विद्याधर नगर,मानसरोवर,टोंक रोड आदि अन्य इलाकों में तेजी से फैलता जा रहा है|ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारों को इसका पता नहीं है,परन्तु अपने रसुखातों के दम पर इन अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट,बार,डिस्कोथेक को चलाने वाले अभी तक बड़ी कार्यवाही से बचते चले आ रहे है|

फोटो:-प्रतीकात्मक

छतों पर चलने वाले अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट,बार,डिस्कोथेक से शहरवासी परेशान

इन अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट,बार,डिस्कोथेक से शहरवासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है|

मद्दसंयम निति की अवहेलना

आबकारी विभाग सर्वाधिक राजस्व देने वाले विभागों में से एक है| आबकारी विभाग का मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थो के अवैध उत्पादन एवं व्यवसाय पर कठोर नियंत्रण रखते हुए उपभोक्ता को गुणवत्ता युक्त मानव उपयोगी मादक पदार्थ उपलब्ध कराने के साथ साथ समुचित राजस्व अर्जित करना और मद्दसंयम की निति को प्रभावी रूप से लागू करना है|विगत कांग्रेस सरकार ने मद्द संयम निति की कठोरता से पालन के लिए इन आन्दोलन के प्रणेता स्व. श्री गुरु शरण छाबड़ा से समझोता भी किया था|जिसको पिछली भाजपा सरकार ने ठन्डे बस्ते में डाल कर शराब की आय से झोली भरने का कार्य किया था|

रेस्टोरेंट बार लाईसेंस है मद्द संयम निति में बाधक-आबकारी विभाग द्वारा रेस्टोरेंट बार के लाईसेंस जारी करने से शहर में रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार,डिस्को का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है ,जिससे हमारे युवा तेजी से नशे के आदी होते जा रहे है|यह चलन लड़कों के साथ साथ लड़कियों में भी तेजी से फ़ैल रहा है|यही कारण है कि पिछले साल जहाँ इनकी संख्या दहाई में थी इस साल इन रेस्टोरेंट बार की संख्या सैकड़े के पास पहुँच गयी है|पिछले आबकारी आयुक्त श्री ओ.पी.यादव तो स्वयं ऐसे ही एक रेस्टोरेंट बार का उद्घाटन करते दिखे थे जो कि चर्चा का विषय थी|

तत्कालीन आबकारी आयुक्त श्री ओ.पी. यादव रेस्टोरेंट बार का उद्घाटन करते हुए

जिम्मेदार विभाग:-आबकारी विभाग

पार्किंग की परेशानी

चूँकि इन अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट,बार,डिस्कोथेक का संचालन इमारतों की छतों पर किया जाता है जिससे बिल्डिंग बाई लॉज़ के विपरीत बिल्डिंग का एक अतिरिक्त तल बढ़ जाता है और बिल्डिंग में आने जाने वालों की संख्या बढ़ जाती है|जिससे उस बिल्डिंग में पार्किंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है|देर रात तक चलने वाले पार्टियों के कारण रात भर स्थानीय निवासी आने जाने वालों से परेशान होते रहते है|

जिम्मेदार विभाग:-जे.डी.ए./नगर निगम

अग्निशमन मानकों की अनदेखी

इन अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट,बार,डिस्कोथेक में अग्निशमन मानकों की अनदेखी की जाती है और फायर उपकरणों का अभाव होता है,चूँकि इन परिसरों का निर्माण अस्थायी प्रकृति का होता है जिनमे आग लगने की सम्भावना अत्यधिक होती है|खुले में रखे गैस के सिलेंडर,शराब का भण्डार होने से तथा सिगरेट के सेवन से भी यहाँ पर आगजनी की सम्भावना बढ़ जाती है|

जिम्मेदार विभाग:-अग्निशमन विभाग

जानोमाल का खतरा

चूँकि छतों पर अवैध होने के कारण इन परिसरों में आपात निकासी(Fire-Exit) की अलग से व्यवस्था नहीं होती है इसलिए आगजनी और भगदड़ की स्थिति में जान-माल की अधिक हानि होने की सम्भावना रहती है|दिल्ली,मुम्बई और पुणे में हुए ऐसे ही हादसों में कई लोगो की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल भी हो चुके है|

जिम्मेदार विभाग:-जे.डी.ए./नगर निगम/आबकारी विभाग/ अग्निशमन विभाग

ध्वनि प्रदुषण

इन परिसरों में तेज आवाज में देर रात तक म्यूजिक बजता रहता है जिससे ध्वनि प्रदुषण होता है|जिससे आस-पास रहने वाले निवासियों को बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ता है|

जिम्मेदार विभाग:-राजस्थान प्रदुषण नियंत्रक मंडल

वायुयानों के समक्ष परेशानी

प्रत्येक हाई-राईज बिल्डिंगों को आवश्यकतानुसार एअरपोर्ट एथोरिटी ऑफ़ इंडिया से ऊँचाई की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र लेनी होती है एक अतिरिक्त तल के निर्माण से इस अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र का उल्लंघन होता है|साथ ही हाई फ्लड लाईटों के कारण वायुयानों को भी दिशा भ्रम होने की सम्भावना रहती है और बड़ा हादसा होने की सम्भावना बढ़ जाती है|

जिम्मेदार विभाग:-एअरपोर्ट एथोरिटी ऑफ़ इंडिया

बिल्डिंगों में रूफ टॉप सोलर प्लांट की अनदेखी

स्थानीय निकायों द्वारा इन बिल्डिंगों के जब मानचित्र स्वीकृत किये जाते है तो उनमे सोलर प्लांट लगाने की शर्त डाली जाती है,परन्तु इन अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट,बार,डिस्कोथेक में अस्थायी निर्माण होने के कारण इस शर्त की अनदेखी की जाती है,जो कि दंडनीय है|

जिम्मेदार विभाग:-जे.डी.ए./नगर निगम

वर्षा जल संग्रहण केन्द्रों की अनदेखी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 300 मीटर से उपर के भूखंडों पर निर्मित भवनों में वर्षा जल संग्रहणों के निर्माण की अनिवार्यता होती है,जिसकी शर्त भी भवन मानचित्र अनुमति के दौरान स्थानीय निकायों द्वारा डाली जाती है|परन्तु इन अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट,बार,डिस्कोथेक के कारण इन भवनों में वर्षा जल संग्रहण केन्द्रों की अनदेखी की जाती है जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार दंडनीय है|

जिम्मेदार विभाग:-जे.डी.ए./नगर निगम/जयपुर कलेक्टर

कानून व्यवस्था को खतरा

कई मौकों पर देखा गया है कि इन अवैध परिसरों में देर रात तक चलने वाली शराब पार्टियों के चलते लड़के-लडकियां सड़कों पर उत्पात करते नजर आते है,तेज रफ़्तार से वाहनों को चलाते है जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी घट चुकी है|कई बार आपस में लड़ाई-झगडा करते है जिसमे पुलिस को कार्यवाही करनी पड़ती है|

जिम्मेदार विभाग:-पुलिस विभाग

प्रतिबंधित मादक पदार्थों का प्रयोग

इन अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट,बार,डिस्कोथेक में मादक पदार्थों का प्रयोग चलन में आ रहा है,हुक्के के नाम पर नशीले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिससे आज के युवा नशे का शिकार हो रहे है|

जिम्मेदार विभाग:-आबकारी,पुलिस विभाग

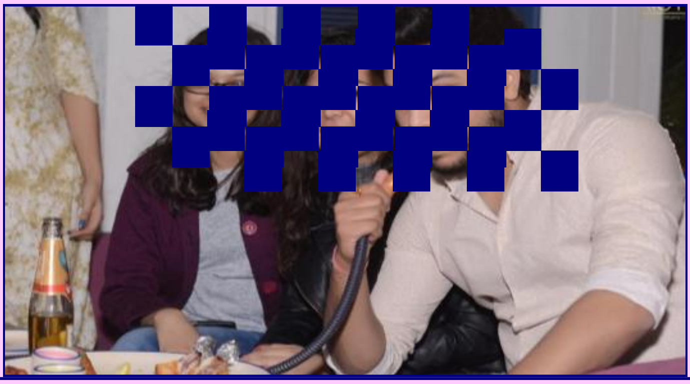

विधानसभा में उठ चूका है मामला

14 वीं विधानसभा के 9वें सत्र में विधायक चंद्रभान सिंह आख्या द्वारा राज्य में चलने वाले अवैध रेस्टोरेंट-बारों के बारे में स्वायत्त शासन विभाग से सवाल किये थे|

यह पूछे थे सवाल

1. क्या यह सही है कि प्रदेश के जयपुर,उदयपुर एवं जोधपुर शहरों में आवासीय अथवा व्यावसायिक भवनों की छतों पर रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार और डिस्को का संचालन किया जा रहा है?यदि हाँ,तो वर्तमान में उक्त शहरों में कुल कितने रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार,डिस्को का संचालन किया जा रहा है?शहरवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें|
2. क्या सरकार द्वारा उक्त रूफ टॉप बार और डिस्को की अनुज्ञा दी गयी है?यदि हाँ,तो किन नियमों के तहत?विवरण सदन की मेज पर रखे|
3. क्या सरकार अनाधिकृत रूप से शहरों के बीचोबीच भवनों की छतों पर संचालित किये जा रहे रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार और डिस्को पर कार्यवाही करने का विचार रखती है?यदि हाँ तो कब तक,,नहीं तो क्यों?विवरण सदन की मेज पर रखें|

जवाब में स्वायत शासन विभाग ने आबकारी विभाग की पैरवी करते हुए दिए गोल-मोल जवाब

1. प्रदेश के उदयपुर व जोधपुर शहर में आवासीय अथवा व्यावसायिक भवनों की छतों पर कोई रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार और डिस्को संचालित नहीं है|जयपुर शहर में कुल 9 रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार और डिस्को को राजस्थान आबकारी(रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्तियाँ प्रदान) नियम 2004 के तहत नियमानुसार रेस्टोरेंट बार स्वीकृत किये है|इनमे से वर्तमान में 8 रेस्टोरेंट बार नियमानुसार स्वीकृत व नवीनीकृत होकर संचालित है|यद्यपि यह रेस्टोरेंट बार रूफ टॉप पर संचालित है,परन्तु इनका बार एरिया कवर्ड किया हुआ है|
2. आबकारी विभाग द्वारा राजस्थान आबकारी(रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्तियाँ प्रदान) नियम 2004 के अंतरगर्त रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापत्र जारी किये जाते है|
3. शहर में छतों पर अथवा अन्य स्थानों पर अनाधिकृत रूप से रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार और डिस्को के संचालन अथवा अवैध मदिरा बिक्री शिकायत पर विभाग द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम,1950 तथा राजस्थान आबकारी नियम,1956 में दिए प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है|

परिशिष्ट–1

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर।

जयपुर शहर के क्षेत्राधिकार में विभाग द्वारा स्वीकृत कुल 9 Roof Top Restaurant Bar & Disco की सूची

क्र.सं.	नाम जिला	शहरो में आवासीय अथवा व्यावसायिक भवनों की छतों पर संचालित Roof Top Restaurant Bar & Disco का नाम	अनुज्ञापत्र संख्या/ अनुज्ञापन्न वर्ष	अनुज्ञप्ति स्वीकृति दिनांक	वर्ष 2017–18 की नवीनीकरण स्थिति
1	जयपुर शहर	कोका हाउस रेस्टोरेन्ट	79/2009–10	31.12.2009	प्रक्रियाधीन
2		पेपर रेस्टोरेन्ट	151/2010–11	03.11.2010	नवीनीकृत
3		बुद्धा हॉस्पिटैलिटी रेस्टोरेन्ट	154/2010–11	03.11.2010	नवीनीकृत
4		पंजाब दॉ पुत्र रेस्टोरेन्ट	13/2016–17	15.07.2016	नवीनीकृत
5		ओन दी बार मालवीयनगर रेस्टोरेन्ट	19/2016–17	29.08.2016	नवीनीकृत
6		रॉक स्टार रेस्टोरेन्ट	21/2016–17	20.06.2016	नवीनीकृत
7		एब्स्यूलूट एन्टरटेन्मेन्ट हॉस्पटिलटी रेस्टोरेन्ट	60/2017–18	26.08.2017	इस वर्ष स्वीकृत
8		बोटम्स-अप रेस्टोरेन्ट	144/2010–11	04.10.2010	नवीनीकृत
9		दी डिप पर्पलस	67/2017–18	05.10.2017	इस वर्ष स्वीकृत

अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार और डिस्को के लिए स्वायत शासन विभाग कर चुका है परिपत्र जारी

स्वायत शासन विभाग द्वारा इन अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार और डिस्को के खिलाफ नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना करवाते हुए शहरों में संचालित अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार और डिस्को के विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत तत्काल कार्यवाही करने के आदेश दिए है|

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)(9)/नियम/डीएलबी/18/1837 जयपुर,दिनांक 12/01/18

परिपत्र

आमजन व समाचार पत्रो के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि शहरी क्षेत्रो में कॉमर्शियल मॉल, आवासीय कॉम्पलेक्स व रिहायशी घरो की छत पर नगरीय निकायो की बिना स्वीकृति के रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट, बार व डिस्कोथेक, संचालित किये जा रहे है। प्रायः उक्त रूफटॉप रेस्टोरेन्ट को संचालित किये जाने हेतु ना तो पार्किंग की समुचित व्यवस्था होती है और न ही अग्निसुरक्षा मानको के अनुसार फायरसैफ्टी यंत्र एवं अन्य फायर उपकरण उपलब्ध होते है। खुले में गैस सिलेण्डर का उपयोग करने से दुर्घटना होना संभव है तथा रेस्टोरेन्ट संचालित किये जाने के लिए जो ढांचा खडा किया जाता है, वह भी अस्थाई प्रकृति का होने से सुरक्षा मानको के अनुरूप नहीं होता है। साथ ही आगजनी व भगदड की स्थिति में निकास हेतु अलग से समुचित व्यवस्था नहीं होती है तथा कई रूफटॉप रेस्टोरेन्ट देर रात तक तेज आवज में म्यूजिक बजाते है, जिससे ध्वनी प्रदुषण भी होता है एवं आस–पास के निवासियो को परेशानी होती है। हाल ही में ऐसा एक उदहारण मूम्बई के एक रूफटॉप रेस्टोरेन्ट का है, जिसमें अग्निसुरक्षा मानको की अनदेखी के कारण दुर्घटना घटी, जिसमें काफी लोग हताहत हुए, इस प्रकरण में नगर निगम की स्वीकृति के विपरीत रूफटॉप रेस्टारेन्ट संचालित किया जा रहा था।

आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि राजस्थान की शहरी निकायो में ऐसी घटना घटित नहीं हो इसलिए सभी नगरीय निकायो के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियो/स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र में कॉमर्शियल मॉल, आवीसय कॉम्पलेक्स, संचालित रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट, बार व डिस्कोथेक का सर्वे कर आमजन की समुचित सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिगत नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना कराते हुए अवैध रूफटॉप रेस्टोरेन्ट/बार/डिस्कोथेक के विरूद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की जावे एवं की गई कार्यवाही की सूचना राज्य सरकार को भी प्रेषित की जावे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(9)/नियम/डीएलबी/18/1838-2441 दिनांक 12/01/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषीअधिकारी/नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राज0।
6. राजस्व अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194

इस धारा के तहत प्राधिकृत अधिकारी बिना अनुमति अवैध निर्माण को नोटिस देकर कब्जे में ले सकता है/सील कर सकता है।

इस अधिनियम के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता के विरुद्ध जुर्माने और कैद का प्रावधान भी है।

अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार और डिस्को के विरुद्ध जे.डी.ए. सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कर सकता है कार्यवाही|

अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों/आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध जे.डी.ए. सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करता है|

किसी भी आवासीय/व्यावसायिक/संस्थानिक भवनों के निर्माण के पूर्व जे.डी.ए. स्वीकृत भवन निर्माण मानचित्र जारी करता है जिसकी शर्तों के अनुरूप ही निर्माणकर्ता को निर्माण करवाना होता है|

चूँकि इन अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार और डिस्को का संचालन भवनों की छतों पर होता है जिसका स्वीकृत मानचित्र में उपयोग सोलर प्लांट और वर्षा जल संग्रहण हेतु स्वीकृत होता है इनके अभाव में जे.डी.ए. एक्ट के अनुसार इनका संचालन पूर्णतया अवैध और कार्यवाही योग्य है|

राज.उच्च न्यायालय द्वारा श्री गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार मामले में, अवैध निर्माणों और आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करवाने के दिए है आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12/01/2017 को राजस्थान पत्रिका के संपादक श्री गुलाब कोठारी की याचिका 1554/2004 के सन्दर्भ में दिए गए वृहद फैसले के आदेश संख्या 21 में स्पष्ट आदेश दिए है कि किसी भी सूरत में अवैध निर्माण को कंपाउंड नहीं किया जाएगा और अवैध निर्माणों के विरुद्ध सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी|

इस आदेश के अनुसार इन अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार और डिस्को को सील या ध्वस्त करना जरुरी है अन्यथा जिम्मेदार अधिकारीयों के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही हो सकती है|

दिल्ली के कनाट प्लेस में ढह चुकी है अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट की छत,21 रेस्टोरेंट सील किये थे

2017 में दिल्ली के कनाट प्लेस में छत पर चल रहे अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट ढह जाने से हुए हादसे से सबक लेकर नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद ने ऐसे ही 21 रेस्टोरेंट बार को सील कर दिए थे|

दिल्ली के कनाट प्लेस में हुए हादसे की तस्वीर

मुम्बई में हो चुका है अवैध बने पब में हादसा

2017 में मुम्बई के कमला मिल्स इलाके में ऐसे ही अवैध बने पब में हुई आगजनी और भगदड़ से 14 लोगो की मौत हो गयी और 55 लोग घायल हो गए|जांच में पता चला कि यह पब नगर पालिका नियमों के विरुद्ध था इसमें अग्निशमन मानकों की पालना नहीं की गयी थी|इसकी कई बार शिकायत भी हो चुकी थी परन्तु बीएमसी ने कोई कार्यवाही नहीं की थी|

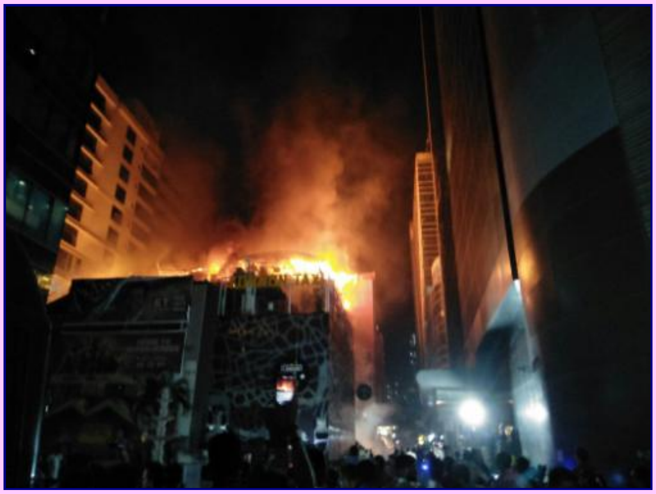

मुम्बई के कमला मिल्स इलाके में हुए हादसे की तस्वीर

जयपुर में हो चुकी है ऐसे अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स-बार,डिस्को-थेक की भरमार;कौन करेगा कार्यवाही??

जे.डी.ए. कर चुका है कम्पाउंड; जयपुर में ऐसे अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स-बार,डिस्को-थेक की बाढ़ आ चुकी है परन्तु जिम्मेदार है की ध्यान ही नही दे रहे है|पूर्व में एक ऐसे ही अवैध बने रेस्टोरेंट बार की शिकायत जे.डी.ए. से की थी,परन्तु जे.डी.ए. अधिकारियों ने बिल्डर से मिलीभगत कर इस अवैध रेस्टोरेंट बार को राज.उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध, एक करोड़ 60 लाख की पेनल्टी लगा कर नियमित कर दिया|इस मामले की लोकायुक्त में जाँच लंबित है|

अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट-बार के लिए आबकारी विभाग जिम्मेदार

राजस्थान सरकार की आबकारी निति के तहत रेस्टोरेंट बार के लिए अलग से लाईसेंस जारी करने का प्रावधान है जिसकी चेक-लिस्ट के अनुसार भूमि का व्यावसायिक उपयोग हेतु संपरिवर्तित होना जरुरी है|परन्तु धन-बल और रसूखात के बल पर इस नियम की अनदेखी की जाती है और अवैध परिसरों में भी लाईसेंस जारी कर दिए जाते है|

जे.डी.ए./नगर निगम में अवैध रेस्टोरेंट बार की शिकायत करने पर यह कह कर शिकायत पर कोई कार्यवाही नही की जाती है कि इन रेस्टोरेंट बार को आबकारी विभाग द्वारा लाईसेंस प्राप्त है|

आबकारी विभाग द्वारा इन अवैध रेस्टोरेंट बारों को लाईसेंस जारी करने से पहले कमिटी का निरक्षण जरुरी|

अतिरिक्त आबकारी आयुक्त,जिला आबकारी अधिकारी,स्थानीय उपखंड अधिकारी और पर्यटन विभाग के उप निदेशक की संयुक्त टीम द्वारा रेस्टोरेंट-बार का निरिक्षण करने के पश्च्यात ही किसी रेस्टोरेंट बार को लाईसेंस जारी किया जाता है|परन्तु आबकारी विभाग द्वारा इस कमिटी के सदस्यों को भी मैनेज कर/गुमराह कर लिया जाता है और अवैध छतों पर रेस्टोरेंट बार का लाईसेंस जारी कर दिया जाता है|

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जे.डी.ए.,नगर निगम,आबकारी विभाग से मांगी है ऐसे अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स-बार,डिस्को-थेक के दस्तावेजों की जानकारी|

ऐसे कई रेस्टोरेंट बार की जांच करने पर पता चला कि जयपुर में इस समय 100 से अधिक अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार,डिस्को का संचालन किया जा रहा है|यह सभी रसूखदारों द्वारा संचालित है जिसके कारण जिम्मेदार विभाग इन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैऐसे में संभावित अवैध रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स-बार के दस्तावेजों की पुख्ता जांच और अग्रिम कार्यवाही के लिए 20 से अधिक रेस्टोरेंट बार की जानकारियाँ जे.डी.ए.,नगर निगम,आबकारी विभाग से मांगी गयी है|

दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से उठाया था यह मुद्दा

मुंबई अग्निकांड से विधानसभा में उठा **सवाल फिर ज्वलंत**

किसकी मंजूरी से चल रहे रूफटॉप रेस्त्रां...अफसर जवाब ही नहीं देते

जेडीसी ने सभी उपायुक्तों से टलते आ रहे जवाब मांगे, मेयर अब बनाएंगे नियम

महेश शर्मा | जयपुर

शहर में कल्चर, फैशन और रूतबा बनी रूफ टॉप रेस्टोरेंट की पार्टियां क्यों और किसकी परमिशन से चल रही है, यह अनसुलझा सवाल बन गया है। हर पॉश एरिया में कहीं किसी मॉल के ऊपर तो कहीं कॉमर्शियल और यहां तक कि रेजीडेंशियल बिल्डिंगों की छतों पर भी देर रात तक रंग-बिरंगी लाइटों के साथ हर बीट पर थिरकते पांव और छलकते जाम की ओर यूथ के पांव बढ़ते जाते हैं। चिंता की लकीरें मुंबई में एक ऐसे ही रूफ टॉप रेस्टोरेंट में लगी भयानक आग और दर्दनाक हादसे ने पैदा कर दी। भास्कर ने शहर में बढ़ते इस मैट्रो कल्चर के पीछे कायदे-कानून को तलाशा तो जिम्मेदार बैकफुट पर नजर आए। पड़ताल में सामने आया कि इस मसले की चिंता विधानसभा तक पहुंची हुई है। एक सवाल में ऐसे रेस्टोरेंट, बार, डिस्को के संचालन की परमिशन, उनकी संख्या और अवैध पर कार्रवाई की मंशा को लेकर जवाब मांगा गया है। तीन महीने से सवालों को जवाब का इंतजार है।

जेडीए में करीब 15 से ज्यादा आरएएस अफसर (जोन उपायुक्त) निरुत्तर हैं। जिस एनफोर्समेंट विंग के पास अवैध निर्माण हटाने की जिम्मेदारी है, उसके मुखिया एसपी की ओर से भी जवाब नहीं सूझ रहा है। नगर निगम की हालत भी यही है। नियम बनाने वाले बोर्ड के पास कभी इस संबंध में कोई मसला गया ही नहीं। क्यों और किस नियम से तहत ये चल रहे हैं, इसका पता नहीं। सभी से अनौपचारिक बात में एक बात जरूर साफ हो गई। ज्यादातर ऐसे अवैध रेस्टोरेंट के पीछे बड़े रसूखात या अवैध वसूली का चक्कर है।

विधानसभा में लगे रूफ टॉप रेस्टोरेंट की संख्या, नियम और कार्रवाई की मंशा पर सवाल का जवाब जेडीए और निगम दोनों जगह टलता आ रहा है।

गत सप्ताह जेडीसी ने विधानसभा मसलों पर टलते आ रहे सवालों पर सभी जोन उपायुक्तों से जवाब तैयार कर इस सप्ताह में देने की आदेश दिए हैं।

इस बीच केवल एक जोन 14 के उपायुक्त ने 3 सवालों पर यही जवाब दिया है कि उनके यहां तो ऐसे रेस्टोरेंट ही नहीं है। ऐसे रेस्टोरेंट के लिए नियम और कार्रवाई की मंशा सरकार ही तय करेगी।

निगम रूफ टॉप रेस्टोरेंट, बार, डिस्कोथेक के नाम से कोई मंजूरी जारी नहीं कर रहा। केवल कुछ होटल और रेस्टोरेंट बिल्डिंगों को छोड़ दें तो अन्य मॉल और रेजीडेंशियल में चल रहे रेस्टोरेंट की प्रक्रिया सवालों में आ गई है।

चंद्रभान सिंह 'आक्या' के सदन में 3 सवाल, जिनके जवाब नहीं मिल रहे

Q रूफ टॉप रेस्टोरेंट बार और डिस्को की सूची? Q यदि इनकी स्वीकृति दी गई है तो किन नियमों के तहत? Q इन पर कार्रवाई होगी या नहीं? हां तो कब तक और नहीं तो क्यों?

5 अक्टूबर 2017 से पेंडिंग सवालों पर भास्कर ने 3 विभागों के जिम्मेदारों से मांगे जवाब

A रूफटॉप रेस्टोरेंट सर्वे कराने के बाद ही जवाब तैयार होंगे, वैसे इनको अलग से स्वीकृति नहीं दी जाती है। ज्यादातर अवैध चल रहे हैं।
-ओमप्रकाश बुनकर, अति.आयुक्त प्रशासन, जेडीए

A रेस्टोरेंट की मंजूरी के काम हमारे पास नहीं है। लेकिन अवैध हाइराइज बिल्डिंगों के मसलों पर हम कार्रवाई करते हैं। रेजीडेंशियल में कॉमर्शियल के मसलों पर भी कार्रवाई बनती है। विधानसभा के सवाल पर जवाब भी यही जाना है। वैसे अभी तक इस संबंध में कोई डिटेल सर्वे तो नहीं है।
-राजेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी और चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर, जेडीए

निगम

A अभी तक रूफ टॉप रेस्टोरेंट की कोई परमिशन नहीं जाती। लेकिन अब हम इस बारे में कुछ नियम-कानून तय करने जा रहे हैं। अवैध पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल फोकस सफाई सर्वे पर है। **-अशोक लाहोटी, मेयर**

यूडीएच

रूफ टॉप नाम से स्वीकृति जारी नहीं होती। पहले से चल रहे होटल और रेस्टोरेंट छत पर ऐसा काम करते हैं तो फिर भी मान सकते हैं। मॉल, रेजीडेंशियल में ऐसे रेस्टोरेंट चल रहे हैं वो अवैध हैं।
- अशोक सिंह, वरिष्ठ एवं विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग

डीएलबी डायरेक्टर ने ऐसे निर्माणों में नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन सुनिश्चित कराने को लिखा

अब बंद होंगे अवैध रूप से चल रहे रूफटॉप रेस्त्रां, आदेश जारी

इन्फ्रा रिपोर्टर|जयपुर

अवैध रूप से कॉमर्शियल मॉल, आवासीय कॉम्प्लेक्स और रिहायशी घरों की छतों पर संचालित रूफटॉप रेस्टोरेंट, बार और डिस्कोथेक बंद किए जाएंगे। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव पवन अरोड़ा ने सभी नगरीय निकायों, अधिशाषी अधिकारियों व स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही कार्रवाई की सूचना राज्य सरकार को भेजने के आदेश भी दिए हैं।

अरोड़ा ने शुक्रवार को इस संबंध में बैठक कर रूफ टॉप रेस्टोरेंट से संबंधित नियमों और मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद ये आदेश जारी किए। निदेशक विधि नगर निगम एवं स्वायत्त शासन विभाग अशोक कुमार सिंह ने कहा कि आमजन की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए आदेश की कॉपी सभी जिला कलेक्टर, महापौर, आयुक्तों को भेजी गई है। हम चाहते हैं कि मुंबई में ऐसे ही अवैध रूप से संचालित रूप टॉप रेस्टोरेंट में घटी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।

भास्कर में प्रकाशित

मुंबई अग्निकांड से विधानसभा में उठा सवाल फिर प्रासंग

किसकी मंजूरी से चल रहे रूफटॉप रेस्त्रां...अफसर जवाब ही नहीं देते

जानकारी हो कि भास्कर ने इस मसले को प्रमुखता से उजागर किया है। जिसमें मुंबई की घटना के साथ ही विधानसभा में लगे उस सवाल का भी हवाला दिया है, जिसमें रूफ टॉप रेस्टोरेंट संचालित करने के नियम और अवैध रूप से संचालन पर सरकार की मंशा जानी गई थी। तीन महीने से लगे सवाल पर संबंधित अधिकारी अभी तक मौन हैं।

दुर्घटना के पूरे हालात...बचने के लिए फायर फाइटिंग और निकास तक नहीं

बढ़ते कल्चर के लिहाज से आए दिन रूफटॉप रेस्टोरेंट खुलते जा रहे हैं। जिनमें बार-डिस्कोथेक की चकाचौंध के लिए हजारों युवा दौड़ रहे हैं। जबकि ऐसे रेस्टोरेंट के पास पार्किंग तो दूर अग्निसुरक्षा मानक, फायर सैफ्टी यंत्र नहीं है। खुले में गैस सिलेंडर का उपयोग होने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। रेस्टोरेंट संचालित करने के लिए जो ढांचा खड़ा किया जाता है, वह भी अस्थायी होने से सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं है। एक बड़ी लापरवाही आगजनी व भगदड़ की स्थिति में निकास के लिए पर्याप्त व्यवस्था का नहीं होना भी है। कई जगह ऐसे रेस्टोरेंट में तेज आवाज वाले म्यूजिक के चलते आस पड़ोस को भी परेशानी होती है।

बिल्डिंग बायलॉज में स्पष्ट करेंगे प्रावधान, तब तक नेशनल बिल्डिंग कोड लागू करें

अवैध रूप से संचालित रूफ टॉप रेस्टोरेंट, बार, डिस्कोथेक पर आमजन की सुरक्षा और सुविधा के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों का पालन कराते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। रूफ टॉप रेस्टोरेंट का चलन नया होने के चलते बिल्डिंग बॉयलॉज में इनके लिए प्रावधान स्पष्टता से लागू कराएंगे। तब तक नेशनल बिल्डिंग कोड को लागू कराने की जरूरत है। जिसके मुताबिक इनमें स्टेयर्स की चौड़ाई 1.2 मीटर और किसी भी पाइंट से एक्जिट रूट की दूरी 15 मीटर से अधिक नहीं हो। इसके अलावा फायर सुरक्षा उपकरण, पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं मौजूद हो।

-पवन अरोड़ा, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, डीएलबी